भारत सरकार
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2204 जिसका उत्तर
शुक्रवार, 1 अगस्त, 2025/ 10 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाना है

वेम्बनाड झील परियोजना का पुनरुद्धार

†2204. श्री हैबी ईडन:

क्या **पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार वेम्बनाड झील का क्षेत्रफल 40,000 हेक्टेयर से घटकर 12,000 हेक्टेयर रह जाने की चिंताजनक कमी और स्थानीय जैव-विविधता एवं आजीविका पर इसके प्रभावों से अवगत है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत वेम्बनाड झील परियोजना के पुनरुद्धार हेतु कोचीन पोर्ट ट्रस्ट को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित करने का प्रस्ताव है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत वेम्बनाड झील के पुनरुद्धार को सम्मिलित करने पर विचार करेगी, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या झील की गहराई को 4.2 मीटर तक बहाल करने की सिफारिशों पर विचार किया जाएगा, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या गाद जमाव और धंसाव के कारण झील की भंडारण क्षमता में कमी का तटीय बाढ़ पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया गया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री
(श्री सर्बानंद सोणोवाल)

(क) और (ख): कोचीन पत्तन, कोचीन पत्तन की अधिसूचित सीमा के अंतर्गत आने वाले जलाशयों का केवल संरक्षक है। वम्बनाड झील, कोचीन पत्तन की अधिसूचित सीमा से बाहर है। कोचीन पत्तन को सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत वम्बनाड झील परियोजना के जीर्णोद्धार हेतु कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित नहीं किया गया है।

(ग) से (ङ): ऐसा कोई प्रस्ताव सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत विचारार्थ प्राप्त नहीं हुआ है।

*****